

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:—नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधित संवेदक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के कार्यों हेतु निविदा समर्पित के लिए सक्षम होने के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-6351 दिनांक-22.11.2016 के द्वारा शहरी स्थानीय नगर निकायों में संवेदकों के निबंधन हेतु झारखण्ड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली, 2016 अधिसूचित की गई है।

उक्त के आलोक में संवेदकों को नगर विकास एवं आवास विभाग (शहरी स्थानीय नगर निकाय स्तर तक) के समस्त कार्यों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित श्रेणियों में निबंधित किया गया है :-

- श्रेणी 1 : 2.50 करोड़ रुपये से ऊपर की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम।
श्रेणी 2 : 50 लाख रुपये से अधिक तथा 2.50 करोड़ रुपये तक की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम।
श्रेणी 3 : 10 लाख रुपये से अधिक तथा 50 लाख रुपये तक की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम।
श्रेणी 4 : 10 लाख रुपये तक की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा उपर्युक्त श्रेणियों में निबंधित संवेदकों को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के कार्यों के लिए सक्षम घोषित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन निबंधित संवेदक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड में कार्यों हेतु निविदा समर्पित करने के लिए प्रसंगाधीन श्रेणी में सक्षम हैं।
4. इस संकल्प पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/विविध (आ0बो0)-73/2017 न0वि0आ0.....

राँची, दि 0-12-17


प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01 / विविध (आ0बो0)-73 / 2017 न0वि0आ0.7.6/8 राँची,दि0-...12/12/17

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




10.12.17
सरकार के प्रधान सचिव।
K.K.06w